

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837 फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II-III/3033

दिनांक:-15-3-24

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार निम्नांकित अधीनस्थ लेखा सेवा कर्मिक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कॉलम संख्या 6 में अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे :-

क्र.स.	लिंक न.	नाम कर्मिक (सर्वश्री)	वर्तमान विभाग/कार्यालय	अतिरिक्त कार्य का विभाग/कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	9288	आदित्य अग्रवाल, स.ले.अ.ग्रेड-I	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हेल्थ एन्शोरेन्स एजेन्सीज, जयपुर	स.ले.अ.ग्रेड-II के रिक्त पद का

इन्हे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।

यह आदेश निदेशक महोदय के स्तर से अनुमोदित है।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II-III/3033

दिनांक:-15-03-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. संबंधित कोषाधिकारी
3. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।
4. अति.निदेशक (कार्मिक-I)
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
6. श्रीसहायक लेखाधिकारी ग्रेड II को पालनार्थ।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)